भंवर लाल बनाम सरकार

27/2022

क्र.स.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	3/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस आंशिक सुनी गई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/6/2024 को पेश हो।	
	20/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखा जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश 28/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	28/6/24	पत्रावली पेश [illegible] पी.ओ. साहब [illegible] व्यस्त है। [illegible] अ [illegible] [illegible] र दिनांक 3/7/24 पत्रावली [illegible] को पेश हो।	
	3/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुने हुए 30 दिवस से अधिक हो चुके। वकील वादी की पुनः बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दावे मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वादी का वाद को डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड, शपथ पत्र, साक्ष्य का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील वादी की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादी के पिता मोन्या पुत्र भेवा की पैतृक खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि साबिक ख0न0 307, 311, 312, 348, 349, 307/915, 331/920 कुल किता 7 कुल रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम सवाई गेटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित थी जिसमे साबिक ख0न0 331/920 रकबा 12 बिस्वा जिसके नवीन ख0न0 532 रकबा 0.02 हे0 व ख0न0 533 रकबा 0.09 हे0 कुल किता —लगातार	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

भंवर लाल बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार व अन्य

प्रकरण संख्या- 27/2022

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/7/24	2 कुल रकबा 0.11 हे0 बनाये गये है जबकि साबिक रकबा 12 बिस्वा की मैट्रिक प्रणाली मे रकबा 0.1517 बनता है। जो वादग्रस्त आराजी दावे मे अंकित की है। वादग्रस्त आराजी साबिक ख0न0 331/920 रकबा 12 बिस्वा को नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा जयपुर नगर के योजना बद्ध विकास हेतु बजाजनगर से हवाई अड्डा तक की योजना में वादग्रस्त आराजी साबिक ख0न0 331/920 रकबा 12 बिस्वा ग्राम सवाई गेटोर तहसील सांगानेर सम्पूर्ण रकबे को अवाप्त की जाकर अवार्ड जारी किया जा चुका है। वर्तमान मे साबिक ख0न0 331/920 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम सवाई गेटोर तहसील सांगानेर हाल ख0न0 532 रकबा 0.02 हे0 व ख0न0 533 रकबा 0.09 हे0 कुल किता-2 कुल रकबा 0.11 हे0 नगर विकास न्यास जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी का वादग्रस्त आराजी पर अवाप्त होने के पश्चात कोई कब्जा नही रहा है। ना ही खातेदार रहे है इस प्रकार वादी का वाद खारिज योग्य है। अतः वाद वादी बाबत घोषणा व दुरस्ती ख0न0 532 व 533 वाके ग्राम सवाई गेटोर तहसील सांगानेर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से तैयार कर पेश करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सुनाया गया) उपखण्ड अ[illegible] जयपुर द्वितीय [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:24:31 IST
Reason: SelfAttested